


विजयकुमार । सुशीला देवी

9/2010

दिनांक	आज्ञा पत्र	
7.6.24	<p>पुनर्पेश। वकील अपीलान्त न उपास्थित हाकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब अपील दाखिल दफ्तार हो।</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प झुन्डुर्)</p>	 <p>Not Press A</p>